प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत   दिनाँक 02.08.2026

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 478/26 धारा 309(4)/317(2)/61(2) बीएनएस का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से लूटे हुए 19,250 रूपये नगद बरामद।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 21.07.2026 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी वीरेन्द्र पुत्र सुखबीर सिंह निवासी ग्राम खेडा इस्लामपुर थाना बड़ौत जनपद बागपत द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि तीन अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उसकी कम्पोजिट अंग्रेजी शराब की दुकान में घुसकर सेल्समैन को पिस्टल दिखाकर भयभीत किया गया तथा दुकान से 4-5 शराब की बोतलें, 1-2 बीयर की पेटियां एवं दिनभर की बिक्री का नकद धनराशि लूटकर फरार हो गए। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 478/26 धारा 309(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम व लुटेरे/शातिरे अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 478/26 धारा 309(4) बीएनएस का सफल अनावरण करते

हुए 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से लूटे हुए 19,250 रूपये नगद बरामद हुए हैं एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोटः- उक्त अभियोग की विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तों 1. विकास पुत्र लख्मी, 2.मयंक उर्फ भोलू पुत्र विरेन्द्र निवासीगण ग्राम संतोषपुर थाना कोतवाली बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत के नाम प्रकाश में आए तथा बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 61(2)/317(2) बीएनएस की वृद्धि की गई।

बरामदगी का विवरण-

- लूटे हुए 19,250 रूपये नगद।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-

1-विकास पुत्र लख्मी निवासी ग्राम संतोषपुर थाना कोतवाली बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

2-मयंक उर्फ भोलू पुत्र विरेन्द्र निवासी ग्राम संतोषपुर थाना कोतवाली बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री आशीष कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

2-उ0नि0 अंकित कुन्तल थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

3-का0 443 रामेन्द्र थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत दिनाँक 02.08.2026

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने जुआ की खाई बाडी करते हुए 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 52 ताश के पत्ते, 950 /- रू0 नगद बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं सार्वजनिक स्थान पर जुआ/सट्टा खेलने वाले अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा जुआ खेलते हुए 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 52 ताश के पत्ते 950 /- रू0 नगद बरामद हुए हैं।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 502/26 धारा 13 जी एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-सुहेल पुत्र महबूब निवासी मौहल्ला कैतीपुरा कस्बा बागपत थाना कोतवाली जनपद बागपत।

2.फैजान पुत्र याकूब निवासी मौहल्ला कुरैशियान कस्बा बागपत थाना कोतवाली जनपद बागपत।

3-जिशान पुत्र इस्लाम निवासी मौहल्ला कुरैशियान कस्बा बागपत थाना कोतवाली जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- **52 ताश के पत्ते**
- **950/- रू0 नगद ।**

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री शिवकुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
2-है0का0 281 राकेश कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
3-का0 976 लवकुश थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
4-रि0का0 245 अनिकेत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।